जीवन को बलिदान करने में निहित है।
यह कहना उचित नहीं है कि अपना जीवन बचाने की आवश्यकता के अधीन व्यक्ति दूसरे के जीवन को समाप्त कर सकता है।

अभियुक्तगण डडले एवं स्टीफन आजन्म पार्कर की हत्या के लिये दोषी ठहराये गये।

सर जेम्स स्टीफन ने इस सिद्धान्त की आलोचना की है। उनके अनुसार स्वजीवन के संरक्षण में व्यक्ति किन्हीं परिस्थितियों के अधीन न होगा तथा अपने जीवन को बचाने के लिये वह दूसरे के जीवन को समाप्त कर सकता है।

डा० हरी सिंह गौड़ के अनुसार - आत्मसंरक्षण पूर्ण आवश्यकता नहीं है। ~~किसी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है।~~ किसी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि वह अपने जीवन के संरक्षण हेतु दूसरे का जीवन ले ले। ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है जो मानव वध का औचित्य स्थापित कर सके।

इसी स्टीफन के प्रकरण में सर जेम्स स्टीफन द्वारा दिये गये निम्नलिखित दृष्टान्त को अननुमोदित कर दिया गया।

स्टीफन ने दो डूबते हुये व्यक्तियों के उदाहरण को उद्धृत किया है जो लकड़ी के एक तख्ते को पकड़ने के लिए संघर्ष कर रहे थे परन्तु वह तख्ता केवल एक व्यक्ति का बोझ ले सकता था। यदि उनमें से एक दूसरे को धक्का देता है और उसकी डूबने से मृत्यु हो जाती है तो वह दोषी न होगा क्योंकि उसने उसे ऐसे अवसर पर छोड़ दिया ताकि वह दूसरा तख्ता ढूंढ सके।

केनी ने भी सर जेम्स स्टीफन के विचारों का समर्थन किया।

अत: जहाँ कोई व्यक्ति आत्मसंरक्षण की आवश्यकता के अधीन हो, वहाँ वह उस हेतु किसी व्यक्ति का वध करने का अधिकार नहीं रखता। ऐसे मामलों में अभियुक्त दाण्डिक दायित्व के अधीन होगा, वध के प्रयोजनार्थ आत्मसंरक्षण की आवश्यकता के अधीन किया गया कृत्य विचारणीय होगा।

स्टीफन के अनुसार, यदि अचानक सख्त गम्भीर आपात में अपरिहार्य बुराइयों में से एक को बचाने के लिये कोई कृत्य किया जाता है तो ऐसा कृत्य विधिसम्मत होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि विधिसम्मत होगा यदि बड़ी बुराई को टालने के लिये छोटी बुराई का जोखिम लिया जाये।

सर फ्रेंक पोलार्ड (Sir Frank Pollard) के अनुसार, कोई ऐसी बात विधि के ~~व~~ हो सकती है जिससे यह लगे कि विधि के शब्दों को भंग किया गया है यद्यपि उस बात से विधि का उल्लंघन नहीं भी हो सकती है। ऐसी बातें विधिक दंड से मुक्त हैं। अतः विधि के शब्दों का उल्लंघन आवश्यकतः विधि का उल्लंघन नहीं है।

धारा 81 आवश्यकता के सिद्धान्त पर आधारित है "Quod necessitas non habet legem"

धारा 81 के अन्तर्गत कोई कृत्य तभी क्षम्य होगा यदि कर्ता ने उस कृत्य को बिना दुराशय के किया है। आपराधिक आशय से तात्पर्य किसी हानि प्रतिषिद्ध कृत्य करने के उद्देश्य से होता है। आपराधिक आशय की स्पष्ट उपस्थिति भी अभियुक्त को धारा 81 के लाभ से वंचित करती है।

धारा 81 का लाभ प्राप्त करने के लिये अभियुक्त को निम्नलिखित दो बातें सिद्ध करनी होंगी-

1. यह कि परिवादित कृत्य करते समय वह आपराधिक आशय से ग्रस्त नहीं था।

2. यह कि उसने परिवादित कृत्य सद्भावनापूर्वक किया था तथा शरीर एवं सम्पत्ति की अन्य क्षति निवारित करने या टालने के उद्देश्य से किया गया था। E.

वीडा मेंजिस (Veeda Menzes) Vs. यूसुफ **खान 1966, सुप्रीम कोर्ट** में धारण किया गया कि संहिता की धारा 81, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 95, 100, 104 तथा 105 के प्रयोजनों हेतु अपहानि (Harm) का एक मात्र अर्थ शारीरिक क्षति ही हो सकती है।

स्वसंरक्षण का सिद्धान्त (Doctrine of self preservation)

आर बनाम डडले एवं स्टीफेन 1884 के प्रकरण में न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह था कि स्वयं के संरक्षण की आवश्यकता किस सीमा तक, एक नैतिक कर्तव्य को कार्य जारी करने तक विस्तृत होगी। यह धारण किया गया कि (Lord Coleridge) सामान्यतः अपने जीवन की रक्षा करना एक कर्तव्य है किन्तु उच्चतम स्तर तथा कर्तव्य दूसरे जीवन को बलिदान करने में निहित है। यह कहना उचित नहीं है कि अपना

धारा 81

वह कार्य जिससे अपहानि सम्भाव्य हो किन्तु जो दुराशय बिना तथा अन्य अपहानि के निवारणार्थ हो

— धारा 81 आई.पी.सी.

धारा 81 के आवश्यक तत्व

1. अभियुक्त व्यक्ति द्वारा कोई कृत्य किया गया हो।
2. प्रश्नगत कृत्य इस ज्ञान के साथ किया गया हो कि इससे क्षति सम्भाव्य है।
3. प्रश्नगत कृत्य बिना आपराधिक आशय के किया गया हो।
4. प्रश्नगत कृत्य सद्भावनापूर्वक किसी सम्पत्ति या व्यक्ति को अन्य क्षति निवारित करने या टालने हेतु किया गया हो।

प्रकृति व आसन्नता

धारा 81 स्पष्टीकरण के अनुसार वह क्षति जिसे निवारित करने या टालने का उद्देश्य रहा हो प्रकृति तथा आसन्नता विचारणीय होगी।

न्यायालय इस तथ्य पर सदैव विचार करेगा जिस क्षति को टालने का उद्देश्य था। क्या उसकी प्रकृति एवं आसन्नता ऐसी थी कि सम्भाव्य क्षति का ज्ञान होते हुए भी कृत्य किया जाये।